रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102023-249157
CG-DL-E-05102023-249157

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 4, 2023/ आश्विन 12, 1945
No. 263] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 4, 2023/ ASVINA 12, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2023

फा. सं. 2/2/2023-बगान-घ:—भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। आयुष चिकित्सा पद्धति में, इसे अपने जीवाणुरोधी, एंटीवायरल, एंटीफंगल और अन्य औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। कोविड-19 अवधि के दौरान हल्दी के आरोग्यता और सम्पूर्ण स्वास्थ्य लाभों के संबंध में बढ़ती जागरूकता ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हल्दी की मांग को बढ़ावा दिया है। फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स और कॉस्मेस्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में हल्दी के नए अनुप्रयोग हैं जो इसे देश में उगाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मसालों में से एक बनाते हैं। बदले में इन उभरते अवसरों को क्रॉस-कटिंग अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर प्रबल रूप से फोकस करने के साथ उत्पादन से निर्यात तक हल्दी की पूरी मूल्य श्रृंखला में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

हल्दी और हल्दी उत्पादों की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने के लि ए, केंद्र सरकार एतद्वारा **"राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड"** का गठन करती है।

1. गठन.- (1) राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

(i) अध्यक्ष;

(ii) वाणिज्य, कृषि और किसान कल्याण, आयुष और भेषज का कार्य देखने वाले केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्रमश चार सदस्य;

(iii) क्रमावर्तनानुसार हल्दी उत्पादक राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन सदस्य;

(iv) हल्दी उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीन सदस्य (केन्द्र सरकार द्वारा नामित);

(v) हल्दी और हल्दी उत्पादों के निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो सदस्य (केंद्र सरकार द्वारा नामित);

(vi) सचिव मसाला बोर्ड

(vii) निदेशक, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कोझीकोड;

(viii) निदेशक, राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, (एनआईपीईआर), गुवाहाटी;

(ix) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड; और

(x) सचिव

(2) अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।

(3) सरकारी सदस्यों के अलावा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, उनकी नियुक्ति की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष का होगा।

(4) सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होगा। वाणिज्य विभाग राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा।

(5) राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी।

(6) राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में, बैठकों की अध्यक्षता केंद्र सरकार के अगले वरिष्ठतम प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी।

2. उद्देश्य.- राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात्:-

(i) हल्दी के नए उत्पाद विकास और मूल्य वर्धन को बढ़ावा देना

(ii) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हल्दी और हल्दी के उत्पादों की जागरूकता और खपत को बढ़ावा देना;

(iii) हल्दी के मूल्य वर्धित उत्पादों के विकास के लिए संभावित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बाजार अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना;

(iv) हल्दी और हल्दी के उत्पादों के निर्यात के लिए अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स के सृजन और सुधार को सुकर बनाना;

(v) विनिर्माण और विपणन सुविधाओं को सुदृढ़ करके हल्दी और हल्दी के उत्पादों के लिए लचीली और वहनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करना;

(vi) हल्दी की आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को बढ़ावा देना;

(vii) मूल्य वर्धन कार्यकलापों के लिए हल्दी उत्पादकों के क्षमता निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देना;

(viii) हल्दी के उपयोग और इसके अनुप्रयोगों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान के प्रलेखन को सुदृढ़ करना;

(ix) हल्दी के औषधीय, आरोग्यता और सम्पूर्ण स्वास्थ्य बढ़ाने वाले गुणों पर अध्ययन, नैदानिक परीक्षणों और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना; और

(x) हल्दी क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाने वाला कोई अन्य उद्देश्य।

3. वित्त.- (1) राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन हेतु बजट के साथ एक वार्षिक योजना तैयार कर सकता है।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसी धनराशि, जो आवश्यक समझी जाए का अनुदान प्रदान कर सकेगी ।

(3) सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के सदस्यों को यात्रा/दैनिक भत्ते वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 14 सितंबर, 2017 के का.ज्ञा. संख्या 19047/1/2016-ई-IV के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

4. नियंत्रण और पर्यवेक्षण.- राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड केंद्र सरकार के समग्र प्राधिकार, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के तहत कार्य करेगा।

अमरदीप सिंह भाटिया, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2023

F.No. 2/2/2023-Plant-D:.—India is the largest producer, consumer and exporter of turmeric in the world. In the Ayush system of medicine, it is known for its antibacterial, antiviral, antifungal and other medicinal properties. The increased awareness of health and wellness benefits of turmeric during COVID-19 period has given a boost to the demand for turmeric domestically and internationally. There are newer applications of turmeric in segments like pharmaceuticals, nutraceuticals, and cosmeceuticals which makes it one of the most important spices grown in the country. These emerging opportunities in turn require more attention across the entire value chain of turmeric from production to exports with a strong focus on cross-cutting research and technology.

In order to harness the untapped potential of turmeric and turmeric products, the Central Government hereby constitutes the "**National Turmeric Board**".

1. Constitution.- (1) The National Turmeric Board shall consist of -

(i) Chairperson;

(ii) Four members to represent respectively the Ministries/Departments of the Central Government dealing with Commerce, Agriculture and Farmers Welfare, Ayush, and Pharmaceuticals;

(iii) Three members to represent turmeric producing States, on rotation basis;

(iv) Three members to represent turmeric growers (to be nominated by Central Government);

(v) Two members to represent exporters of turmeric and turmeric products (to be nominated by Central Government);

(vi) Secretary, Spices Board;

(vii) Director, Indian Institute of Spices Research, Kozhikode;

(viii) Director, National Institute of Pharmaceutical Education and Research, (NIPER) Guwahati;

(ix) Chief Executive Officer, National Medicinal Plant Board; and

(x) Secretary.

(2) The Chairperson shall be appointed by the Central Government.

(3) The term of office of the Chairperson and Members of the Board other than official members shall be a maximum of three years from the date of appointment.

(4) Secretary shall be an officer appointed by the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. The Department of Commerce shall provide secretarial assistance to the National Turmeric Board.

(5) The National Turmeric Board shall have at least two meetings in a financial year.

(6) All meetings of the National Turmeric Board shall be chaired by the Chairperson and in her absence, the meetings shall be chaired by next senior-most representative of the Central Government.

2. Objectives.- The National Turmeric Board shall have the following objectives, namely,-

(i) Promote new product development and value addition in turmeric;

(ii) Promote awareness and consumption of turmeric and turmeric products in international markets;

(iii) Facilitate market research in potential international markets for development of value-added turmeric products;

(iv) Facilitate creation and improvement of infrastructure and logistics for exports of turmeric and turmeric products;

(v) Encourage building of resilient and sustainable supply chains for turmeric and turmeric products by strengthening forward and backward linkages;

(vi) Promote compliance with quality and safety standards across the supply chain of turmeric;

(vii) Promote capacity building and skill development of turmeric growers for value addition activities;

(viii) Strengthen documentation of traditional knowledge related to use of turmeric and its applications;

(ix) Encourage studies, clinical trials and research on medicinal, health and wellness enhancing properties of turmeric; and

(x) Any other objective as may be determined by the Central Government for promotion and development of the turmeric sector.

3. Finance.- (1) The National Turmeric Board may, for furthering its objectives, prepare an annual plan along with budget for approval by the Central Government.

(2) The Central Government may provide grant of such sums of amount as may be considered necessary.

(3) Travelling/Daily Allowances to the members of the National Turmeric Board other than official members shall be regulated as per M/o Finance, Department of Expenditure's OM No. 19047/1/2016-E-IV dated 14th September, 2017.

4. Control and supervision.- The National Turmeric Board shall function under the overall authority, supervision and control of the Central Government.

AMARDEEP SINGH BHATIA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.10.05 12:38:41 +05'30'